


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2557] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936
No. 2557] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3193(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उप-नियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम मध्य जोन, नागपुर में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

- | | | |
|-------|---|-----------------|
| (i) | अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम मध्य जोन, नागपुर | — अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम मध्य जोन, नागपुर की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी | — सदस्य |
| (iii) | श्री राजेन्द्र लखीचंद नन्वरे,
निदेशक, पर्यावरण स्कूल,
45, साहू नगर, जलगांव-425001 महाराष्ट्र
(ई मेल - rajunsip@gmail.com) | — अशासकीय सदस्य |
| (iv) | प्रो. सुरेश मारोत्रओ चोपन,
गणेश नगर, सिविल लाइन्स, टुकुम,
चन्द्रपुर-442401 महाराष्ट्र
(ई मेल - smchopane@gmail.com) | — अशासकीय सदस्य |
| (v) | श्री सुरेश चन्द्र जैना,
बी-67, कविता नगर,
रायपुर-492001 छत्तीसगढ़
(ई मेल - suresh.jena@gmail.com) | — अशासकीय सदस्य |

- (vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम मध्य जोन, नागपुर की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी — सदस्य सचिव

2. महाराष्ट्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के निम्नलिखित प्रतिनिधि, क्रमशः महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) महाराष्ट्र सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, महाराष्ट्र सरकार;
(ii) सचिव, महाराष्ट्र सरकार, राजस्व विभाग।
(ख) छत्तीसगढ़ सरकार :
(i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, छत्तीसगढ़ सरकार;
(ii) सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्व विभाग।

3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनें उक्त नियम के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

[फा. सं. 6-26/2014-आरओएचक्यू]

डॉ. एस.एस. नेगी, अति. वन महानिदेशक (एफ सी)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Regional Offices Headquarters Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

S.O. 3193(E).—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, West Central Zone, Nagpur (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely: —

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| (i) | Head of the Regional Office, West Central Zone, Nagpur | — Chairperson |
| (ii) | Senior most officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, West Central Zone, Nagpur | — Member |
| (iii) | Shri Rajendra Lakhichand Nannaware,
Director, School of Environment,
45, Sahoo Nagar,
Jalgaon-425001, Maharashtra
(E-mail: rajunsip@gmail.com) | — Non-official
member |
| (iv) | Prof. Suresh Marotrao Chopane,
Ganeshnagar, Civil Lines, Tukum,
Chandrapur-442401, Maharashtra
(E-mail- smchopane@gmail.com) | — Non-official
member |
| (v) | Shri Suresh Chandra Jena,
B-67, Kavita Nagar,
Raipur-492001, Chhattisgarh
(E-mail- suresh.jena@gmail.com) | — Non-official
member |
| (vi) | Senior most officer from amongst officers in the rank of Deputy Conservator of Forests in the Regional Office, West Central Zone, Nagpur | — Member-
Secretary |

2. Following representatives of the Government of Maharashtra and the Government of Chhattisgarh shall be invited to attend meetings of the Regional Empowered Committee as special invitee, in the examination of the proposals pertaining to diversion of forest land in the States of Maharashtra and Chhattisgarh respectively, namely:—